न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 05, सहारनपुर।
उपस्थितः– शाश्वत पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत आवेदन संख्या–1080/2026
UPSP010032492026

शमशाद उर्फ भूरा पुत्र पीरू निवासी कृष्णाधाम कालोनी, चकरहेटी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार। ..... अभियोजक।

मु0 अ 0 सं0–39/2025
धारा 318(4), 337, 336(3), 340(2),
338, 341 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/7(1)
थाना–जनकपुरी, जिला सहारनपुर

02.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शमशाद उर्फ भूरा पुत्र पीरू** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र, मु0 अ 0 सं0–39/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 337, 336(3), 340(2), 338, 341 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/7(1), थाना–जनकपुरी, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **श्रीमती आशिया पत्नी शमशाद** द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वह अभियुक्त की पत्नी व पैरोकार मुकदमा है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रशान्त उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक, थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा इस आशय की मौखिक तहरीर थाना जनकपुरी पर दर्ज करायी गयी कि दिनांकः– 07.02.2025 सेवा में थाना प्रभारी निरीक्षक थाना–जनकपुरी ज्नपद–सहारनपुर। विषयः बन्दी अजय पुत्र रामपाल की रिहाई के सम्बन्ध में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा भेजे गये आदेश के जाँच कराये जाने के सम्बन्ध मे। महोदय, उपरोक्त विषयक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IG.R.S) जन सुनवाई के सन्दर्भ संख्या–60000250010400 से आच्छादित नेशनल स्पेशल कोर्ट, आफ इण्डिया कोर्ट कैम्प आफिस 46/175, राजपुत कालोनी नगला बायर जगदीशुरा आगरा के आईजीआरएस सन्दर्भ पत्र दिनांक 14.01.2025 द्वारा जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध बन्दी अजय पुत्र रामपाल की समयपूर्व रिहाई का अनुरोध किया गया है, के अनुक्रम में अवगत कराना है कि दिनांक– 26.11.2024 को बन्दी अजय पुत्र रामपाल निवासी झरौली बहलोलपुर थाना–सरसावा जनपद सहारनपुर को अ 0 सं0–97/23, धारा 302. 120 बी0 आई०पी०सी०, थाना–गागाहलेडी, जनपद–सहारनपुर के बाद में दिनांक– 22.09.2023 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेशानुसार जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध हुआ तथा विषयांकित विचाराधीन बन्दी का वाद वर्तमान में माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर के समक्ष लम्बित है। उक्त बन्दी को जिला कारागार सहारनपुर से रिहा किये जाने के सम्बन्ध में एक आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमे पता राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली अंकित है, उक्त आदेश Honble National Special Court(Division Bench Rashtrapati Bhawan) Head of Department His Excellency President Mahodika. Rashtrapati Bhavan New Delhi–110004 (presidentofindia@rb.nic.in) (Subordinate Bench) द्वारा भेजा गया है तथा उक्त जारी आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु Draupadi Murmu Honble National Special Court (Bench Rashtrapati Bhawan) Head of Department Her Excellency President Mahodika Rashtrapati Bhawan New Delhi–110004 (subordinate Institution) (presidentofindia@rb.nic.in) तथा Shri Surendra Kumar Singh and Shri Yogendra kumar Others Honble Justice high Court Retired (Advisor) National Special Court National Inquiry Committee Government of India Head of Department His Excellency President Honble President Rashtrapati Bhawan New Delhi–110004 को भी प्रेषित है। इसके साथ ही उक्त व्यक्ति द्वारा बार बार | GRS व PMOPG पर बन्दी अजय पुत्र रामपाल को रिहा करने के सम्बन्ध मे शिकायत की जा रही है। उक्त आदेश की वैद्यता संदिग्ध है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

उक्त के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 318(4), 337, 336(3), 340(2), भारतीय न्याय संहिता, मे मामला दर्ज किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा धारा – 338, 341 भारतीय न्याय संहिता व धारा – 3/7(1) भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम 2005 की वृद्धि की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा– 318(4), 337, 336(3), 340(2), 338, 341 भारतीय न्याय संहिता व भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधि० 2005 धारा 3/7(1) न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है।

जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा रजिंश की बिनाह पर फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है और प्रार्थी दिनांक

13/08/2025 से जिला कारगार जिला सहारनपुर में बन्द है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त घटना से कोई मतलब वास्ता नही है तथा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध उक्त धाराओं का नही बनता है प्रार्थी द्वारा कथित घटना जैसा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नही है और न ही प्रार्थी की उपरोक्त मुकदमें में कोई भूमिका है और उपरोक्त् मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उपरोक्त् मुकदमें की जिस प्रकार से घटना दर्शायी गयी है वह प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित करना कतई सम्भव नही है क्योकि प्रार्थी/अभियुक्त एक अनपढ व्यक्ति है और कथित घटना में दर्शित सभी तथ्यों से परिचित नही है न ही इस प्रकार के तथ्यों से परिचित होना इस प्रकार की प्रक्रिया में संलिप्त रहने का भी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध नही है। प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमें में दर्शाया गया बन्दी अजय के पिता रामपाल पर कुछ रूपये वाजिब थे जब प्रार्थी रामपाल से अपने रूपयों की मांग करता तो रामपाल द्वारा कहा जाता कि जब उसका पुत्र अजय जेल से बाहर आ जायेगा तो वह प्रार्थी के पैसे देगा इस प्रकार प्रार्थी को बन्दी अजय द्वारा गलत ब्यानी कर बिल्कुल झूठा फंसाया गया है और प्रार्थी को मात्र बन्दी अजय के कहने पर बिना किसी उच्च स्तरीय जांच के प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है कथित घटना में प्रार्थी की कोई भूमिका किसी भी प्रकार की नही है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भूमिका दर्शायी गयी है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्शायी गयी भूमिका के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नही है। कथित घटना में जो फर्जी दस्तावेज या कागज या आदेश तैयार किया जाना दर्शाया है उन सभी दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज पर भी प्रार्थी का कोई हस्ताक्षर नही है तथा नही कोई ऐसा साक्ष्य व सबूत है कि जिससे यह दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा कोई फर्जी कागज या फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया हो । इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध लगायी गयी किसी भी धारा का कोई अपराध नही बनता है और प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र एक बन्दी के ब्यान के आधार पर बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। सहअभियुक्त ईश्वरचन्द की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।

उपरोक्त मुकदमें सभी धाराये मैजिस्ट्रेट विचाराणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी अपराध में सजाफता मुल्जिम नही है तथा प्रार्थी स्थाई निवासी है जिसके भागने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी हस्ब मंशा अदालत अपने मौतबीर जामिनान पेश करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवम अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके नेशनल स्पेशल कोर्ट ऑफ इण्डिया कैम्प आफिस 46/175 राजपूत कालोनी, नगल बेर जगदीशपुरा, जिला आगरा के पते से मु०अ०सं०– 97/2023 धारा– 302, 120 बी भा०दं०सं० थाना गागलहेड़ी सहारनपुर में जिला कारागार में जिला कारागार में निरुद्ध बंदी अजय पुत्र रामपाल को समयपूर्व रिहाई किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा मुद्रित तथा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रपति महोदया व प्रधानमंत्री भारत सरकार के पदनाम का दुरुपयोग करके न्यायालय हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन दिल्ली के नाम से फर्जी कूटरचित आदेश तैयार कर उसको असल के रूप में प्रयोग कर जिला कारागार सहारनपुर एवं अन्य संस्थानो को भेजने का आरोप है। अभियोजन कथानक व बंदी अजय के बयान के अनुसार उक्त फर्जी व कूटरचित आदेश को तैयार करने के लिए पैसे आवेदक/अभियुक्त को ही दिये गये थे तथा उसके द्वारा ही कोर्ट की रिहाई आदेश की छाया प्रति बन्दी अजय पुत्र रामपाल की बहन को दिखाया गया था। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। गवाहो द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा – 318(4), 337, 336(3), 340(2), 338, 341 भारतीय न्याय संहिता व भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधि० 2005 धारा 3/7(1) न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। उसे मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस आधार इस स्तर पर उपलब्ध नही है। कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **शमशाद उर्फ भूरा पुत्र पीरू** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–39/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 337, 336(3), 340(2), 338, 341 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/7(1), थाना–जनकपुरी, जिला सहारनपुर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–02.04.2026

(शाश्वत पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट/
कक्ष संख्या–5 सहारनपुर
JO Code– UP2660

Digitally signed by SHASHWATA PANDEY
Date: 2026.04.02 16:22:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court